अपील सूचना अधिकार संख्या 58/2016 अनवानी जयसिंह बेनीवाल सेवानिवृत तहसीलदार जरिये ऋषिराज सिंह एडवोकेट चैम्बर न0 5 जिला न्यायालय परिसर हनुमानगढ बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर

13–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जय सिंह बेनीवाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री दीपक रहेजा लिपिक उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जय बेनीवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:–

1.कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पत्र कंमाक एफ 29(1)(2)स.क./विकास/15/7579–94 दिनांक 03.11.2015 से नोटिस जारी कर पत्र के बिन्दु संख्या 4 में लिखित पांच अप्रार्थीगण को उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में दस्तावेजो/साक्ष्यो सहित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16.11.2015 का समय दिया गया था। पांचो प्रकरणों के निर्णयो की दिनांक की सूचना दी जाये।

2.अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार एपीपी–1 के सम्बन्ध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट की गई है की नकल मय अप्रार्थी द्वारा पेश साक्ष्यों/दस्तावेजों की नकल इस पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि लोक सूचना अधिकारीउ द्वारा उसे जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है वह पूर्ण रूप से उपलब्ध नही करवाई गई है। इसलिए उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे एवं उसके द्वारा चाही गई पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 2377 दिनांक 11.04.2016 निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:–

बिन्दु स.	प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु का वर्णन	प्रत्युतर
6	यह कि कार्यालय जिला कलक्टर के पत्रांक 1816 दिनांक 14.03.2016 द्वारा प्रेषित सूचना भ्रमित करने वाली तथा विषय से हटकर दी गई है' (1) यह कि प्रार्थी के आवेदन के बिन्दु सं0 1 से मात्र पांच प्रकरणो के निर्णय की दिनांक मांगी गई थी, प्रत्यर्थी द्वारा लिखा गया है कि सूचना तृतीय पक्ष द्वारा असहमति दिये जाने के कारण सूचना नही दी जा सकती। सर्वप्रथम तो निर्णय सार्वजनिक होता है और सरेआम निर्णय सुनाया जाता है। निर्णय तृतीय पक्ष होने का कथन प्रत्यर्थी द्वारा किया गया है, वह पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है, सूचना दिलाई जावे। (2) यह कि प्रार्थी के आवेदन के बिन्दु संख्या 2 से अप्रार्थी के संबंध में तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की उसकी नकल मय अप्रार्थी द्वारा पेश साक्ष्यों/दस्तावेजो की मांगी गई थी। प्रत्यर्थी ने प्रार्थी के आवेदन में वर्णित सूचना नही देकर, स्थिति को भ्रमित करने हेतु विषयवस्तु से भिन्न सूचना दी है। विषयवस्तु से मात्र उपखण्ड अधिकारी का पत्रांक एसडीएम/गंगा/जांच जाति प्रमाण पत्र पीए/2015/06 दिनांक 06.01.2016 के दो पेज है उसके अलावा तहसीलदार की रिपोर्ट नही है तथा तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी को अप्रार्थी द्वारा पेश कोई साक्ष्य/दस्तावेज नही है। स्थिति को भ्रमित करने के लिए प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.11.2015 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर जाति प्रमाण पत्रो का नष्टीकरण विधि विरूद्ध किये जाने के साक्ष्य पेश किये थे, उसमें से मात्र जिला कलक्टर का निरीक्षण वृतान्त दिनांक 31.3.2016 के पेज दो व फर्जवाड़े से अभिलेख नष्टीकरण के कार्यालय टिप्पणी दो पेज तथा डिस्पेच रजिस्टर की फोटो प्रति पेज एक दी है जो मांगी भी नही गई थी और शेष रिकार्ड वह है जो अप्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर को दिनांक 04.12.2015 को उल्लेखित है।	(1) श्रीमानजी, समिति के समक्ष 04 प्रकरण ही विचाराधीन थे जिनके निर्णय समय समय पर लिये गये। प्रार्थी द्वारा अन्य पक्षकारान के निर्णय के बारे में जानने हेतु भ्रमित करने वाली सूचना यथा दिनांक आदि का उल्लेख कर तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी चाहे जाने का प्रयास किया गया है, जिस पर विवेकानुसार तृतीय पक्ष से सहमति/असहमति चाहे जाने के उपरान्त ही प्रार्थी को सूचना नही दी जा सकती। क्योंकि सूचना के अधिकार के तहत सूचना सृजित कर नही दी जा सकती, उपलब्ध रिकार्ड की नकल दी जा सकती है। (2) श्रीमानजी अपीलार्थी के बिन्दु सं0 2 के संबंध में निवेदन है कि प्रकरण में उच्चस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट चाही गई थी जो जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध करवाई (कुल 07 पेज) गई। उसी की प्रमाणित नकल प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा जो साक्ष्य/दस्तावेजात (कुल 71 पेज) प्रस्तुत किये गये थे उसकी प्रमाणित नकल उपलब्ध करवाई गई।

ज्ञानी
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

7.	यह कि प्रत्यर्थी मात्र दो पेज की सूचना उपखण्ड अधिकारी के पत्र दि0 06.01.2016 की दी है। तहसीलदार की रिपोर्ट एवं अप्रार्थी द्वारा तहसील में पेश अभिलेख तथा उपखण्ड अधिकारी को अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य/दस्तावेज पेश किये, सूचना नही दी है, सूचना दिलाई जावे।	श्रीमानजी, प्रत्युतर बिन्दु संख्या 6 में निहित है।
8.	यह कि प्रार्थी द्वारा अग्रिम रूप से 30/–जमा करवाये गये थे सूचना मात्र 2 पेज अर्थात 4 रूपये शुल्क, फिर भी सूचना नही देने के लिए कपटपूर्ण योजना के तहत पत्र दिनांक 19.02.2016 लिखा गया। प्रत्यर्थी का यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता तथा सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 का स्पष्ट उल्लंघन करने वाला है। प्रत्यर्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।	श्रीमानजी बिन्दु सं0 6 के प्रत्युतर अनुसार कुल 78 पृष्ठ के 02/– रूपया प्रति पृष्ठ के हिसाब से 156/–राशि बनती है। अपीलार्थी द्वारा अग्रिम राशि 30/– रूपया राजकोष में जमा करवाई गई है तथा शेष 126/– रूपया राजकोष में करवाने हेतू पत्र लिखा गया।
फिर भी यदि अपीलार्थी को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ किसी प्रकार का कोई कपट आदि किया गया है तो अपीलार्थी स्वयं आकर किसी भी कार्यदिवस में अपने प्रकरण से संबंधित पत्रावली का अवलोकन कर शेष कोई अन्य रिकार्ड लेना चाहे तो नियमानुसार आवेदन कर ले सकता है।		

राज्य लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1816 दिनांक 14.03.16 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर भिजवाया गया है:–

बिन्दु सं	चाही गई सूचना	दी गई सूचना
1.	कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पत्र कमांक एफ 29(1)(2)स.क./विकास/15/7579–94 दिनांक 03.11.2015 से नोटिस जारी कर पत्र के बिन्दु संख्या 4 में लिखित पांच अप्रार्थीगण को उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में दस्तावेजो/साक्ष्यो सहित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16.11.2015 का समय दिया गया था। पांचो प्रकरणों के निर्णयो की दिनांक की सूचना दी जाये।	सूचना तृतीय पक्ष से होने तथा तृतीय पक्ष द्वारा असहमति दिये जाने के कारण सूचना नही दी जा सकती।
2.	अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार एपीपी–1 के सम्बन्ध में तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट की गई है की नकल मय अप्रार्थी द्वारा पेश साक्ष्यों/दस्तावेजों की नकल इस पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।	इस पत्र के साथ सलंग्न है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए **और तृतीय पक्ष की निजि सूचना नही होनी चाहिए**। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 1 द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण नही दी गई है और बिन्दु सं0 2 की सूचना के संबंध में 78 पृष्ठ की सूचना दी जा चुकी है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और न्याय हित में लोक सूचना अधिकारी को यह भी आदेश दिया जाता है कि अपील में प्रस्तुत जबाब दिनांक 11.04.16 की प्रति भी अपीलार्थी को भिजवाई जावे। अपीलार्थी कार्यालय में किसी निश्चित उपलब्ध अभिलेख की सूचना लेना चाहे तो उसे नियमानुसार रिकार्ड का अवलोकन करवा दिया जावे और उसमें से अपीलार्थी जो सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 13.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञान राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर